प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' पांच '

[9/3/2017]

प्रश्न सं. [क्र. 1728]

परिशिष्ट–''अ''

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के अधीनस्थ जिला न्यायालयों की वर्ष 2014 से वर्ष 2016 तक के इंदौर एवं ग्वालियर संभाग के लंबित प्रकरणों की वर्षवार जानकारी निम्नानुसार हैः–

इंदौर संभाग

वर्ष	लंबित प्रकरणों की संख्या	कुल प्रकरण
2014	डी0जे0 / ए0डी0जे0– 75133 सिविल जज वर्ग–1 एवं 2– 141086	**216219**
2015	डी0जे0 / ए0डी0जे0– 73224 सिविल जज वर्ग–1 एवं 2– 143917	**217141**
2016	डी0जे0 / ए0डी0जे0– 73714 सिविल जज वर्ग–1 एवं 2– 147629	**221343**

ग्वालियर संभाग

वर्ष	लंबित प्रकरणों की संख्या	कुल प्रकरण
2014	डी0जे0 / ए0डी0जे0– 37445 सिविल जज वर्ग–1 एवं 2– 67915	**105360**
2015	डी0जे0 / ए0डी0जे0– 37813 सिविल जज वर्ग–1 एवं 2– 75089	**112902**
2016	डी0जे0 / ए0डी0जे0– 42357 सिविल जज वर्ग–1 एवं 2– 78921	**121278**

''प्रकरणों की पेंडेंसी कम से कम रहे'' इस हेतु निम्न प्रयास किये जा रहे हैः–

1. राज्य शासन द्वारा कुल 556 न्यायालयों की स्थापना की गई है। जिसमें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश स्तर की 231 एवं व्यवहार न्यायाधीश स्तर की 325 है।
2. विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। जिसमें एक ही प्रकृति के प्रकरणों को उन विशेष न्यायालय द्वारा विचार किया जाता है।

3. पुराने एवं निष्प्रभावी प्रकरणों का निपटान किये जाने हेतु कमेटियों का गठन किया गया है। जिसमें विचारोपरांत पुराने एवं निष्प्रभावी प्रकरणों को कमेटी की अनुशंसा द्वारा उन प्रकरणों को नस्तीबद्ध किया जाता है।
4. जिला स्तर पर मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया है जिसमें जिला न्यायाधीश, जिला दंडाधिकारी एवं सुपरिटेन्डेंट आफ पुलिस द्वारा प्रतिमाह मीटिंग आयोजित की जाती है जिसमें प्रकरणों को निपटाये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरणों की पेंडेंसी कम से कम रहे इस हेतु अनेक उपाय किये जा रहे है जो निम्नानुसार हैः–

1. मध्यप्रदेश ''केस फ्लो मेनेजमेंट रुल'' को प्रभाव में लाया गया है जिसमें प्रकरणों को उनकी गंभीरता के हिसाब से वर्गीकरण किया गया है तथा उन्हें निपटाये जाने हेतु समय सीमा निर्धारित की गई है।
2. लोक अदालतों का निरंतर आयोजन किया जा रहा है।
3. मीडिएशन प्रोसेस पर बल दिया जा रहा है।
4. पुराने प्रकरणों को निपटाये जाने हेतु उनके वर्क एसेसमेंट में अधिक यूनिट का प्रावधान किया गया है।
5. स्टेट ज्यूडिशियल एकेडमी द्वारा प्रकरणों को शीघ्र निपटाये जाने हेतु प्रशिक्षण शाला का आयोजन किया जाता है।
6. एरियर्स कमेटी के द्वारा हाईकोर्ट स्तर पर निचली अदालतों द्वारा संपादित किये गये कार्यो का निरंतर अवलोकन किया जाता है और समय–समय पर प्रकरणों को निपटाये जाने हेतु दिशा निर्देश जारी किये जाते है जिसमें पांच वर्ष एवं दस वर्ष पुराने लंबित प्रकरणों को निपटाये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जा रहे है।

———————